बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के षष्टम् सत्र के १५१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के मेज पर रखता हूं। शेष लंबित प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामानन्द तिवारी	४, २८६, ७२६, १०३४, ११०४, १२३१।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	१५, ५६, ३६०, १३५४।
३	श्री रामानन्द सिंह	७४, ३४१, ७५५।
४	श्री एस० के० बागे	१२१, २४७, ६९५, १०३०, १२५२, १२६८, १७३७।
५	श्रीमती बनारसी देवी	११०, १२१७, १३३६।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ९१ (४) के अनुसार सभा मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर ।

APPENDIX.

Questions and Answers laid on the Table under rule 91 (4) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Bihar Legislative Assembly.

Short Notice Questions and Answers

(अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।)

गंगा के कटाव से रक्षा ।

१५२ । श्री जगदीश नारायण सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के मोकामा थानान्तर्गत डुमरा ग्राम की जमीन गंगा के बहाव से बहुत अधिक कट रही है ;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस कटाव का कारण क्या है और सरकार इससे बचाने के लिये क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री दीपनारायण सिंह—(१) यह सत्य है कि डुमरा ग्राम के सामने गंगा के धार से कुछ कटाव हुआ है ।

(२) चूंकि कटाव की जांच-पड़ताल नहीं हुई है, इसलिये कटाव का कारण नहीं बताया जा सकता है । स्थानीय पदाधिकारी को जांच-पड़ताल करने के लिये आदेश दिया जा रहा है ।

विद्यालय निरीक्षिका को अध्ययन छुट्टी ।

१५३ । श्री लखन लाल कपूर—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि विद्यालय निरीक्षिका, बिहार, पटना को दो साल की अध्ययन-छुट्टी (Study leave) स्वीकृत की गयी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि अभीतक विद्यालय निरीक्षिका, बिहार, पटना को अध्ययन काल की छुट्टी में जाने की कोई खास तिथि विभाग द्वारा निश्चित नहीं की गयी है : और न कोई उन्हें रिलीज होने का आदेश ही दिया गया है ;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जल्द से जल्द उपरोक्त विद्यालय निरीक्षिका को अध्ययन-छुट्टी में जाने का प्रबंध करेगी ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) विद्यालय निरीक्षिका, बिहार को विदेश में अध्ययन करने के लिये दो वर्षों की छुट्टी सरकार ने स्वीकृत की है।

(२) विद्यालय निरीक्षिका ९ दिसम्बर १९६० के अपराह्न से छुट्टी में चली गयीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

APPOINTMENT OF TEACHER.

156. Shri SITAL PRASAD BHAGAT : Will the Education Minister be pleased to state —

(1) whether it is a fact that there is one L.P. Girls' School at Masotha, P-.S. Shambhuganj, district Bhagalpur ;

(2) whether it is a fact that the residents of that village had registered one acre of land for that school about three years ago ;

(3) whether it is a fact that the teacher of the above school has been transferred to some other school ;

(4) whether it is a fact that the residents of that village have appointed one Middle Trained teacher in absence of any teacher having been sent in his place ;

(5) if the answers to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to appoint that middle trained teacher permanently, if not, why ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) इस संबंध की निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के संबंध में जांच करते समय पता चला है कि गांववालों ने लगभग एक एकड़ जमीन बिहार राज्यपाल के नाम से निबंधित किया है, पर सुसंगत अभिलेख रजिस्ट्री ऑफिस से निकाल कर शिक्षा अवीक्षक के कार्यालय में समर्पित नहीं किया है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) उत्तर नकारात्मक है। इस पाठशाला के शिक्षक श्री जगदीश प्रसाद सिंह के स्थानान्तरण की तिथि १४ मई १९६० को ही वहां एक मैट्रिक ट्रेंड शिक्षक श्री ब्रह्मदेव ठाकुर की नियुक्ति की गयी, जिन्होंने यह कार्यभार ग्रहण नहीं किया। गांववालों ने कोई मिडल ट्रेन्ड शिक्षक की नियुक्ति नहीं की, पर उस गांव के श्री कृष्ण प्रसाद सिंह ने स्वेच्छा से कुछ समय तक अपने ही घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाया जिसके संबंध में शिक्षक या छात्रों की कोई उपस्थिति बही या अभिलेख नहीं है। वे अप्रशिक्षित मिडल हैं, इस कारण उनकी योग्यता शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपर्याप्त है।

(५) (४) में वर्णित परिस्थिति में संबद्ध व्यक्ति को स्थायी रूप से शिक्षक नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।